

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-51/2017-18/06राब(कृषि)/मत्स्य, राँची, दिनांक 07/05/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो0. 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) ₹0 मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 194 दिनांक 11.04.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं0 317 के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो0 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) ₹0 मात्र की अनुमानित लागत पर मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस योजना अंतर्गत अधिकतम 24,000 तालाबों का सर्वेक्षण कराकर डेटा-इण्ट्री का कार्य, मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, सखी मंडल हेतु जाल सिलाई मशीन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प के बीज का संचयन तथा जयंती रोहू का पालन एवं प्रजनन, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), 50000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन तथा 9983 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण तथा विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित मदों में किया जायेगा, जिसके लिए समुचित योजना उद्भव्य एवं संबंधित लघु शीर्षों में राशि का बजट उपबन्ध प्राप्त है:



मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) - मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख ₹ में)

क्रमांक	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500796200109	25.21
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार/ 53S240500796200321	67.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500796200323	152.95
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500796200335	126.84
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
5	59 अन्य व्यय 53S240500796200759	62.00
उप योग :		434.00
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500789200109	4.95
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500789200323	15.50
3	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500789200335	39.55
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
4	59 अन्य व्यय 53S240500789200759	7.00
उप योग :		67.00
लघु शीर्ष -101- अन्तर्देशीय मछली पालन		
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय 53S240500101200109	36.73
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार 53S240500101200321	27.50
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S240500101200323	105.70
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S240500101200335	119.07
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
5	59 अन्य व्यय 53S240500101200759	50.00
उप योग :		339.00
तीनों लघु शीर्षों में स्वीकृत राशि का सकल योग- 840.00 लाख ₹ (आठ करोड़ चालीस लाख ₹) मात्र।		

4. (क) वर्ष 2016-17 में मत्स्य प्रसार योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 एवं वर्ष 2017-18 के राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 के क्रम में तालाबों का सर्वेक्षण कराया जायेगा।
 (ख) मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे करा कर प्राप्त सूचनाओं को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी जिला मत्स्य कार्यालयों में सुरक्षित रखा जायेगा।



- (ग) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु मत्स्य मित्र की तर्ज पर केज मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया जायेगा।
- (घ) विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जाएगा, जिस पर प्रति हेक्टेयर 50,000/- रु मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।
- (ङ) जिला स्तर पर सखी मंडल के सदस्यों को जाल, हापा आदि के सिलाई का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं जिलावार परिशिष्ट I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप जाल/हापा सिलाई मशीन, घागा एवं अन्य उपकरणों पर राशि व्यय की जायेगी।
- (च) वित्तीय वर्ष 2017-18 के मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं० 06 दिनांक 15.04.2017 के आलोक में मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।
- (छ) अमूर कार्प के बीज का संचयन तथा जयंती रोहू का पालन एवं प्रजनन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जायेगा।
- (ज) जलाशय स्तरीय 11,000 मछुआरों के लिए आईडेंटिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।
- (झ) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंटरी/डाटा इण्टी तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। तालाबों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इण्टी कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा। आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित करने की जवाबदेही निदेशक मत्स्य की होगी।
- (ञ) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा।
- (ट) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आर०एफ०एफ० समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 30,000/- रु प्रति पुरस्कार के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाइकिल अथवा आईस बॉक्स मोपेड/ डीप फ्रिजर के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
5. लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति से नियमानुसार कराया जायेगा।
6. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जाँच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।
7. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु

प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 225/-रु की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय तथा आवासन पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 1225/-रु की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/- रु की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 75/- रु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 400/- रु अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आर०एफ०एफ० लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों हैचरी संचालकों तथा मत्स्य विक्रेताओं के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रु प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉकी तक) भुगतान किया जायेगा। प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा माँगा गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं०-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

8. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फेक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 30/- रु प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल



मो0 1.50 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायेगी।

ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारिकरण कार्य तथा महिलाओं के स्वनियोजन हेतु रंगीन मछलियों के पालन, संवर्धन एवं विपणन हेतु योजना संचालित की जायेगी। पूर्व से अनुसंधान केन्द्र, राँची तथा जमशेपुर अन्तर्गत संचालित रंगीन मछली इकाई हेतु महिलाओं को पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

ग. म्यूजियम एवं प्रयोगशाला के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0टी0-बेसड कार्यक्रम/वेबसाइट/मोबाईल एप विकसित कराया जायेगा जिस हेतु सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव पर निदेशक मत्स्य अलग से आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

13. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक कय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

16. वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत स्वीकृत मो0 760.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 529.68 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

17. वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन निर्गत किया जायगा।

18. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के कय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।


20. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

21. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

22. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(पूजा सिंहल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 रा. वि. मत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव


ज्ञापांक 06 रा. वि. मत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 रा. वि. मत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06 रा. वि. मत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/आ० वि० प्राप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-53-सूचि, पापुपान एवं वकफिया विभाग (मत्स्य प्रशास) मुंबई शीर्ष-2405-मछला पालन-समु 8118-101-अनुसूची 10000

उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रवाह, अंतुप्रधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत विभागात् शीतिक एवं वित्तीय ताल

शिवर शीर्ष-01-वेतन एवं बाले-09-मत्स्य

क्र०	स्वाभाव / विवरण का नाम	शिवर शीर्ष-01-वेतन एवं बाले-09-मत्स्य			शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक												शिवर शीर्ष-03-प्रशासनिक		शिवर शीर्ष-04-प्रशासनिक		शिवर शीर्ष-05-प्रशासनिक		शिवर शीर्ष-06-प्रशासनिक		शिवर शीर्ष-07-प्रशासनिक		शिवर शीर्ष-08-प्रशासनिक		कुल वित्तीय ताल (लाख रु० में)
		मासिक ताल (ला० रु० में)	शिवर ताल (ला० रु० में)	शिवर ताल (ला० रु० में)	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक	शिवर शीर्ष-02-प्रशासनिक			
1	हस्तगत	1200	0.60	13100	2.62	2	2.44	2.5	1.25	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
2	प्रशासनिक	750	0.38	7500	1.50	1	1.22	1.0	0.50	20	0	300	1.50	2000	0.04	500	0.75	2.50	2.50	1800	3.60	2	0.60	12.58					
3	शिवर	1150	0.58	9100	1.82	2	2.44	1.0	0.50	0	0	300	1.45	1000	0.02	800	1.20	2.50	2.50	1800	3.60	2	0.60	18.74					
4	शिवर	1000	0.50	7500	1.50	0	0.00	1.0	0.50	20	0	350	1.50	2000	0.04	800	1.20	2.50	2.50	2000	4.00	2	0.60	10.61					
5	शिवर	1800	0.90	7800	1.56	2	2.44	1.5	0.75	0	0	300	1.50	0	0.00	100	0.15	2.50	2.50	2000	4.00	2	0.60	16.71					
6	शिवर	1000	0.50	8800	1.36	0	0.00	1.0	0.50	20	0	320	1.50	1000	0.02	700	1.05	2.50	2.50	2000	4.00	1	0.60	10.25					
7	शिवर	1400	0.70	7800	1.52	1	1.22	1.0	0.50	0	0	300	1.50	0	0.00	200	0.30	2.50	2.50	2000	4.00	2	0.60	12.57					
8	शिवर	1000	0.50	6500	1.30	0	0.00	0.5	0.25	10	0	350	1.65	0	0.00	200	0.30	2.50	2.50	1600	3.20	1	0.50	8.37					
9	शिवर	500	0.25	7500	1.52	0	0.00	0.5	0.25	0	0	280	1.40	0	0.00	100	0.15	2.50	2.50	2800	5.60	2	0.60	19.44					
10	शिवर	500	0.25	6500	1.32	0	0.00	0.5	0.25	20	0	300	1.90	2000	0.04	500	0.75	2.50	2.50	2200	4.40	20	6.00	158.83					
11	शिवर	12000	6.00	86750	17.75	9	10.98	12	6.00	118	16.50	3600	17.50	10000	0.20	5000	7.50	27.50	27.50	22000	44.00	20	6.00	158.83					

नोट : कागजिया ताल को आवंटन नहीं प्रदान करा।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सरकार के सचिव
(पूजा सिंघल)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-53-मुंबई, पणजीपालन एवं संस्कारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्यालय-मुंबई-2405-महत्वादी बिलन-संयुक्त शीर्षक-789-संयुक्तित नावियों के लिये विशेष घटक योजना-अंग शीर्षक-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत बिलवार भागतक एवं वित्तीय तालिका

क्र०	स्वामिता / विला का नाम	वित्तीय शीर्षक-01-वेतन एवं शर्त-09-मानदंड					वित्तीय शीर्षक-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री					वित्तीय शीर्षक-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय					कुल वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	
		मत्स्य शीर्षक के द्वारा विलवारों का खर्च	वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	शारीरिक तालिका (लाख रु० में)	वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	शारीरिक तालिका (लाख रु० में)	विभागीय विलवारों में प्रविष्टि मत्स्य प्रालन	वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	शारीरिक तालिका (लाख रु० में)	वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	शारीरिक तालिका (लाख रु० में)	मंत्रालय विलवारों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री	वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	शारीरिक तालिका (लाख रु० में)	वित्तीय तालिका (लाख रु० में)	शारीरिक तालिका (लाख रु० में)		वित्तीय तालिका (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	रॉबी	140	0.07	1400	0.28	0.50	0.25	0	0.00	90	0.45	100	0.15	100	0.20	1	0.30	1.70
2	बूटी	40	0.02	800	0.16	0.00	0.00	0	0.00	40	0.20	0	0.00	60	0.12	0	0.00	0.50
3	मुसला	120	0.06	800	0.16	0.00	0.00	0	0.00	50	0.25	0	0.00	100	0.20	0	0.00	0.67
4	सिमडेगा	60	0.03	600	0.12	0.00	0.00	0	0.00	20	0.10	0	0.00	60	0.12	0	0.00	0.37
5	लोहरेगा	60	0.03	600	0.12	0.00	0.00	0	0.00	40	0.20	0	0.00	60	0.12	1	0.30	0.77
6	लोहरेगा	80	0.04	600	0.12	0.00	0.00	0	0.00	30	0.15	0	0.00	100	0.20	1	0.30	0.81
7	पाठ सिंघुम	120	0.06	800	0.16	0.00	0.00	5	0.75	30	0.15	0	0.00	120	0.24	1	0.30	1.66
8	पूर्वी सिंघुम	120	0.06	800	0.16	0.00	0.00	0	0.00	30	0.15	100	0.15	120	0.24	0	0.00	1.02
9	सुर्यकेला	140	0.07	800	0.16	0.50	0.25	0	0.00	30	0.15	50	0.08	60	0.12	1	0.30	0.85
10	दुसका	80	0.04	800	0.16	0.00	0.00	0	0.00	30	0.15	0	0.00	60	0.12	0	0.00	0.46
11	समालदा	60	0.03	800	0.16	0.00	0.00	5	0.75	40	0.20	0	0.00	60	0.12	0	0.00	1.26
12	सहिनबाब	60	0.03	800	0.16	0.00	0.00	0	0.00	40	0.20	0	0.00	60	0.12	0	0.00	0.47
13	पाकुड	60	0.03	600	0.12	0.00	0.00	0	0.00	40	0.20	0	0.00	60	0.12	0	0.00	1.43
14	हवादिगा	120	0.06	1000	0.20	0.50	0.25	0	0.00	70	0.35	100	0.15	60	0.12	1	0.30	1.17
15	रामगढ़	60	0.03	800	0.16	0.50	0.25	0	0.00	30	0.15	50	0.08	100	0.20	1	0.30	1.17
16	लोहरेगा	60	0.03	1200	0.24	0.00	0.00	0	0.00	70	0.35	100	0.15	100	0.20	1	0.30	1.27
17	चतरा	60	0.03	800	0.16	0.00	0.00	5	0.75	30	0.15	50	0.08	60	0.12	0	0.00	1.29
18	लोकारो	80	0.04	800	0.16	0.50	0.25	0	0.00	50	0.25	100	0.15	120	0.24	0	0.00	1.09
19	गिरिडीह	60	0.03	800	0.16	0.50	0.25	5	0.75	50	0.25	50	0.08	100	0.20	0	0.00	1.72
20	भुवनेश्वर	100	0.05	1000	0.20	0.50	0.25	0	0.00	45	0.23	50	0.08	100	0.20	0	0.00	1.00
21	गोडडा	60	0.03	400	0.08	0.00	0.00	0	0.00	45	0.23	50	0.08	60	0.12	0	0.00	0.53
22	पलामू	60	0.03	925	0.19	0.50	0.25	0	0.00	30	0.15	50	0.08	60	0.12	0	0.00	0.81
23	गढ़वा	60	0.03	800	0.16	0.00	0.00	0	0.00	20	0.10	50	0.08	60	0.12	0	0.00	0.49
24	देवर	140	0.07	1000	0.20	0.00	0.00	0	0.00	60	0.30	50	0.08	120	0.24	1	0.30	1.19
कुल-योग		2000	1.00	19725	3.95	4.00	2.00	20	3.00	1000	5.90	1000	4.50	2000	4.00	10	3.00	23.45

नोट - 1: कल रीति को अर्द्धन नहीं समझा जाए।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सरकार के सचिव

मुख्यालय, पणजीपालन एवं संस्कारिता विभाग, मुंबई-2405-महत्वादी बिलन-संयुक्त शीर्षक-789-संयुक्तित नावियों के लिये विशेष घटक योजना-अंग शीर्षक-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत बिलवार भागतक एवं वित्तीय तालिका

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य


क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	कुल वित्तीय योग (लाख ₹ में)
		म0कि0 प्र0के0	अनुसंधान	जमशेदपुर	बोकारो	गुमला	राँची	
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन							
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री							
1	शाहीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि0ग्रा0 पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	40	0	0	0	0	40
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
5	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
6	विभागीय प्रक्षेत्र में जयंती रोहू के प्रायोगिक तौर पर पालन तथा प्रजनन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	उप योग	9.00	14.00	0.00	1.00	0.00	0.00	24.00
ii	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय							
7	2000 मिट्टी पानी की जाँच का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन:	9.00	16.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26.00

ख	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना							
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री							
1	मिट्टी पानी जाँच किट तथा रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारीकरण कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	58	35	0	0	0	93
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	5.80	3.50	0.00	0.00	0.00	9.30
4	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
5	विभागीय प्रक्षेत्र में जयंती रोहू के प्रायोगिक तौर पर पालन तथा प्रजनन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00
	उप योग	5.00	14.80	6.50	0.00	3.00	3.00	32.30
ii	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय							
6	आई.टी. बेडू कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
iii	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय							
7	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00
	योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना:	5.00	18.30	9.00	0.00	3.00	3.00	38.30

ग	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना							
i	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री							
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	35	5	0	0	0	40
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00
	योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00
	कुल योग	14.00	37.80	9.50	1.00	3.00	3.00	68.30

नोट - कृपया राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अडक लाख तीस हजार ₹ मात्र)


(पूजा सिंहल)
सरकार के सचिव